भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

ई. प्राप्ति सं.667735/2020 नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2020

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय: स्थान शुल्क और विलंब शुल्क नियमों में छूट।
संदर्भ: मास्टर दर परिपत्र/डेमरेज-व्हारफेज़-वेवर/2016/0 और शुद्धिपत्र

31.03.2020 तक स्थान शुल्क और विलंब शुल्क नियमों में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नानुसार संसूचित की जाती है:

1. स्थान शुल्क और विलंब शुल्क की दर निर्धारित दर के ½ (आधे) पर वसूल की जाए।
2. मालडिब्बों के लदान/उतराई के लिए फ्री टाइम और रेल परिसरों से परेषण हटाने के लिए फ्री टाइम को निर्धारित फ्री टाइम के दुगुने तक बढ़ाया जाए।

31.03.2020 के बाद सामान्य नियम लागू होंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(ब्रजेश धर्मानी)
कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2020

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय: माल/कंटेनर यातायात से संबंधित नीतियों की वैधता को बढ़ाया जाना।

30.04.2020 तक माल/कंटेनर यातायात से संबंधित निम्नलिखित नीतियों की वैधता बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

	विषय	बोर्ड पत्र/परिपत्र सं. एवं दिनांक	मौजूदा वैधता	बढ़ाई गई वैधता
माल यातायात				
1	परंपरागत एम्पटी फ्लो डायरेक्शन में लदान किए गए यातायात के लिए उदारीकृत स्वचालित माल-भाड़ा छूट योजना जिसमें श्रेणी एलआर1/श्रेणी 100 पर शुल्क लिया जा रहा है।	सं. टीसीआर/1078/2018/04 दिनांक 16.11.2019 (2018 का दर परिपत्र सं. 16 और उसका शुद्धि पत्र)	31.03.2020	30.04.2020
2	रेड मड का श्रेणी 130 में वर्गीकरण	सं. टीसीआर/1078/2015/07 दिनांक 30.09.2019 (2015 के दर परिपत्र सं. 8 के लिए शुद्धिपत्र स.24)	31.03.2020	30.04.2020
कंटेनर यातायात				
3	खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट वैगनों के संचलन के लिए प्रति टीईयू ढुलाई दर पर 25% की छूट	सं. टीसी-I/2014/302/2 दिनांक 27.12.2019 (2018 का दर परिपत्र 20 का शुद्धिपत्र स.3)	31.03.2020	30.04.2020
4	प्रति टीईयू आधार पर ढुलाई प्रभार पर कोटा स्टोन की चार्जिंग	सं. टीसी-I/2014/302/2 दिनांक 18.03.2019 (दर मास्टर सर्कुलर/सीआरटी-सीसीआर-हब एण्ड स्पोक/2015/0 के लिए शुद्धिपत्र स. 21)	31.03.2020	30.04.2020
5	माल यातायात में यथा प्रकाशित	सं. टीसी-I/2014/302/2	10.04.2020	30.04.2020

Scanned with CamScanner

	लागू श्रेणी दरों पर 20% की छूट लागू करके सीआर कॉइल की चार्जिंग	दिनांक 02.04.2019 (दर मास्टर सर्कुलर/सीआरटी-सीसीआर-हब एण्ड स्पोक/2015/0 के लिए शुद्धिपत्र स. 23)		

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(ब्रजेश धरमानी)
कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपि प्रेषितः
पीएफए, सभी भारतीय रेलें,
उप महानियंत्रक लेखापरीक्षा (रेलें), कमरा संख्या 222, रेल भवन, नई दिल्ली

कृते वित्त आयुक्त (रेलें)

नई दिल्ली, दिनांकः 23.03.2020

<u>प्रतिलिपि प्रेषितः</u>
पीसीसीएम,पीसीओएम, पीएफए, सभी क्षेत्रीय रेलें
एमडी, सीआरआईएस, सीएओ/एफओआईएस, जीएम(एफओआईएस)/सीआरआईएस

(ब्रजेश धरमानी)
कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

Scanned with CamScanner